कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145–2429971, 2429920
ईमेल आईडी :– ajmermc@gmail.com वेबसाईट :– www.ajmermc.org

क्रमांक :–RO(OR)/1081 दिनांक :– 20/11/19

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम अजमेर द्वारा वित्तिय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि से 2020–21 (31.03.2021) तक की अवधि के लिए निम्न पार्किंग स्थल का ठेका निम्नांकित दिनांक को आयोजित है जिसमे समय प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक अमानत राशि जमा की जावेगी तथा दोपहर 2.00 बजे से 3.30 बजें तक खुली निलामी बोली लगाई जावेगी :–

क्र. स.	पार्किंग स्थल का नाम	अमानत राशि	सरकारी बोली	नीलामी दिनांक
1	कॉन्वेट स्कूल के सामने, रेल्वे की दिवार के सहारे नाले पर, नसीराबाद रोड, अजमेर	10000	2,00,000	28.11.2019

अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त दिनांक व समय पर नगर निगम की अन्यकर शाखा मे उपस्थित होकर अमानत राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते है। शर्ते व अन्य की जानकारी हेतु निगम कार्यालय दिवस व समय पर उपस्थित होकर राजस्व अन्यकर शाखा से एंव निगम की वेबसाईट www.Ajmermc.org पर एवं State public Procurement Portal पर भी सूचना उपलब्ध है।

प्रमुख शर्ते :–

1 विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

2 बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम, अजमेर में निहित होगा।

3 बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।

4 नीलामी शर्तो मे परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम अजमेर मे निहित रहेगें।

5 बोलीदाता को बोली पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए लगानी होगी जिसकी राशि शेष अवधि की आनुपातिक राशि जमा करानी होगी।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

NIB Code:- ANN1920A0068
UBN is :- ANN1920SSOB00196

D:\Surendra Ji\Ms Word Fille\Letters\sam joliya 17.docx

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पार्किंग स्थल की नीलामी शर्ते :–

(1) पार्किंग स्थल की नीलामी का विवरण

पार्किंग स्थल का नाम	:–	कॉन्वेट स्कूल के सामने, रेल्वे की दिवार के सहारे नाले पर, नसीराबाद रोड,
पार्किंग ठेका अवधि	:–	वित्तीय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि व वित्तीय वर्ष 2020–21 (31.03.2021) तक की अवधि के लिए।
सरकारी बोली	:–	2,00,000/– (दो लाख रूपये) प्रतिवर्ष
नीलामी की अमानत राशि	:–	10,000/– (दस हजार रूपये)

(2) ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर निम्न सूचना का बोर्ड लगाना होगा।

(i) वसूल की जाने वाली दरों का विवरण।
(ii) ठेकेदार का नाम व पत्ता मय मोबाईल नम्बर
(iii) ठेकेदार के प्रतिनिधी का नाम
(iv) पार्किंग पर बडे वाहन बस/ट्रक/आदि खडे नही करने की सूचना।
(v) पार्किंग स्थल पर राजकीय वाहन/निगम कर्मचारी/पार्षद आदि के वाहन निःशुल्क खडे किये जायेंगे।

3. पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था, पानी, लाईट, स्टेशनरी की व्यवस्था एवं वाहनों की सुरक्षा की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

5 बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि नगद जमा करानी होगी। उच्चत्म बोलीदाता को छोडकर शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि बोली कार्यवाही समाप्ति पश्चात् लौटा दी जावेगी।

4 पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जा सकेगा। 4X4 फुट का छायादार अस्थाई निर्माण किया जा सकता है।

6 प्रशासनिक कार्य हेतु इस स्थान की आवश्यकता होने पर उक्त स्थान पर पार्किंग नही की जा सकेगी। बिना कोई कारण बताये हुये उक्त ठेका निरस्त किया जा सकेगा। शेष अवधि की राशि बकाया दिनों के अनुपात में नियमानुसार लौटाई जायेगी।

7 वाहनों की पार्किंग शुल्क की दरे निम्नानुसार होगी जो 4 (चार) घटें के लिए मान्य होगी। जिसके लिए ठेकेदार द्वारा टोकन दिया जायेगा टोकन पर ठेकेदार को पूर्ण पता व टेलीफोन न0 अंकित करना होगा :–

(अ) कार/जीप	30/– रूपये (दो घंटे तक 15 रूपये ही शुल्क वसूल कर सकेगा।)
(ब) स्कुटर/मोटर साइकिल	10/– रूपये
(स) साइकिल	5/– रूपये

8 उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर जमा करानी होगी एवं शेष 3/4 राशि बोली स्वीकृत होते ही जमा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। राशि जमा नही कराने की दशा में ब्लेक लिस्टेड व कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी

9 पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करनी होगी जिसे की यातायात में व्यवधान न हो।

10 बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार महापौर,/आयुक्त नगर निगम अजमेर को होगा।

11 पार्किंग स्थल पर खडी गाडी के खोने/गुमने/चोरी होने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।

12 विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

13 उच्चत्म बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर की राशि नियमानुसार जमा करानी होगी।

14 सफलतम् ठेकेदार को 50/– रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र इस आशय का देना होगा की नगर निगम अधिकारी /कर्मचारी /पार्षद से मेरा कोई रक्त संबंध नही है।

15 पार्किंग स्थल पर पूर्व में ही निर्मित किसी संरचना को नुकसान पहुचाएं जाने पर हानि का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

16. उच्चत्म बोलीदाता की अमानत राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि से 2020–21 की अवधि तक जमा रहेगी जिसे ठेका समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार लौटाई जायेगी।

17. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

18. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।

19. ठेकेदार द्वारा वितिय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि की सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही शुल्क वसूली कर सकेगा अन्यथा वसूली हेतु अधिकृत नही होगा एंव आगामी वितिय वर्ष की राशि पूर्व वित्तीय वर्ष 2019–20 की राशि पर 10 प्रतिशत वृद्वी के साथ वित्तीय वर्ष 2020–21 की राशि निगम कोष मे जमा करानी होगी।

20 पूर्व वित्तीय वर्षो मे किये गये पार्किंग ठेकें की किसी भी ठेकेदार की बकाया राशि होने पर उसे आगामी वित्तीय वर्ष के ठेके मे भाग नही ले सकेगा । सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ही ठेके मे भाग ले सकेगा।

21. पार्किंग ठेका निम्नलिखित स्थिति में निरस्त किया जा सकेगाः–

(1) निर्धारित दरों से अधिक वसूली करने पर।
(2) सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा नही कराने पर।
(3) व्यवसायिक गतिविधिया ठेले, केबिन, ट्रक, बस, आदि लगाने पर।

22. उपरोक्त शर्तो मे परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम अजमेर मे निहित रहेगें।

23. ठेकेदार का पूर्व वर्षो का कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति उपरान्त निगम आगामी वितिय वर्ष मे निम्नतम 10 प्रतिशत एंव अधिकतम जो भी निगम प्रशासन प्रशासनिक निर्णय कर ठेका अवधी बढाई जा सकेगी।

24. नगर निगम, अजमेर द्वारा भविष्य में पार्किंग स्थल पर मरम्मत अथवा पुर्ननिर्माण कार्य करवाया जाता है तो संवेदक द्वारा आपत्ति नही की जाऐगी एवं उस अवधि का भुगतान संवेदक से नही लिया जायेगा।

25 बोलीदाता को बोली पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि की लगानी होगी जिसकी राशि शेष अवधि की आनुपातिक जमा करानी होगी।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम अजमेर

Scanned by CamScanner